संख्या-51/2020/986/22-4-2020-48(62)/11

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0 प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-30 दिसम्बर, 2020

विषय- जनपद हापुड़ में जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-26848/नम-3/47/हापुड़/2017, दिनांक 26.10.2020 एवं पत्र संख्या-28860/नम-3/47/हापुड़/2017, दिनांक 20.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया जनपद हापुड. में जिला कारागार के निर्माण हेतु चयनित ग्राम-अकड़ौली, तहसील व जिला हापुड़ में स्थित काश्तकारों की 24.3103 हे0 (60.08 एकड़) भूमि क्रय किये जाने हेतु रू0 52,26,45,760/- (रूपया बावन करोड़ छब्बीस लाख पैंतालिस हजार सात सौ साठ मात्र) की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संगत मद में अवशेष धनराशि रू0 44,57,20,620/- (रूपया चौवालिस करोड़ सत्तावन लाख बीस हजार छः सौ बीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं :-

(1) भूमि पर विधमान परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व आवश्यकता एवं औचित्य के सम्बन्ध में संतुष्ट हो लेंगे।

(2) समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार धनराशि स्वीकृत किये जाने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 का होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपोजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31.03.2021 तक कर लिया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-09-नवसृजित जनपदों में कारागारों के निर्माण हेतु भूमि क्रय एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य-60-भूमि क्रय'' मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय के अशासकीय पत्र संख्या-ई0-12-2355/10/2020, दिनांक-28 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-51 /2020/986(1)/22-4-2020-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, हापुड़।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।